

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-49(I)/नाम विलोपित/2019/ दिनांक:-

आदेश

निम्नलिखित नर्स-2 जिनकी राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथी से राज्य सेवा से नाम विलोपित किया जाता है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	पत्र क्रमांक/ दिनांक	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	नाम विलोपित तिथि
1	कमला मोड, नर्स-2	1828/ 01 07.19	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़	01.01.66	13.01.86	05.06.19
2	सुनिता कुमारी, नर्स-2	1052/ 26. 06.19	ई0 एस0 आई0 योजना, कोटा	06.06.71	04.07.97	09.05 19

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-49(I)/नाम विलोपित/2019/1088
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 20/8/19

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, ई0 एस0 आई0 योजना, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जोधपुर/उदयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क.रा.बी. औषधालय न. -3, कोटा।
6. सम्बन्धित कर्मचारी के आश्रित द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर